

एकल आवासीय शमन मानचित्र हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप

समक्ष-

सचिव महोदय,

वाराणसी विकास प्राधिकरण,

वाराणसी।

पुत्र/पुत्री/पत्नी -

आयु-

आराजी नं०-

मौजा- परगना-

तहसील-

परगना-

जिला- वाराणसी

शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ-

1. यह कि शपथकर्ता द्वारा अर्जी नं०-

मौजा-

जिला वाराणसी पर प्रस्तावित आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. यह कि स्थल पर पेड़ लगाये जायेंगे।

3. यह कि उक्त आवेदन में यदि प्राधिकरण द्वारा भविष्य में कोई अतिरिक्त शुल्क आरोपित किया जायेगा तो मेरे द्वारा यह देय होगा।

4. यह कि यह मानचित्र भू-स्वामी से सम्बन्धित अभिलेख नहीं होगा और प्रस्ताव पक्ष को भूमि का स्वामित्वाधिकार पदान नहीं करेगा। पक्ष द्वारा दाखिल स्वामित्व अभिलेख भविष्य में फर्जी और असत्य पाये जाने की दशा में मानचित्र की स्वीकृत निरस्त समझी जावेगी और यह समझा जायेगा कि इस सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृति के आधार पर प्रस्तावक द्वारा किया गया समस्त निर्माण अवैध है और इस कृत्य के लिये प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा।

5. यह कि पी०एन०जी० लाईन होने पर भवन में पी०एन०जी० का कनेक्शन लेंगे।

6. यह कि एन०जी०टी० के समस्त नियमों का पालन करेंगे।

7. यह कि प्रदान की गयी स्वीकृति एकल आवासीय हेतु अनुमन्य होगी. इतर अनुक्रिया पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
8. यह कि प्राप्त अनापत्ति पत्रों में दिये गये समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा।
9. यह कि मानचित्र के साथ संलग्न इस्टीमेट पी०डब्ल्यू०डी० के वर्तमान शेड्यूल के अनुसार है तथा इसी अनुसार स्थल पर कार्य कराया जाएगा।
10. मानचित्र में लाल रंग से हैच दर्शित अशमनीय भाग को मानचित्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर स्वयं हटा लेंगे। यदि शपथकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में अशमनीय भाग को ध्वस्त नहीं किया जाता है तो निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करके शपथकर्ता से ध्वस्तीकरण का व्यय वसूल किया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर शपथकर्ता द्वारा ध्वस्तीकरण व्यय का भुगतान नहीं किया जाता है. तो प्राधिकरण द्वारा उसकी वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
11. यह कि निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही भवन का उपयोग किया जायेगा।

नोट- यदि भूखण्ड का क्षेत्रफल 300 वर्ग०मी० से अधिक है तो निम्न बिन्दु भी लिखे जायेंगे।

- यह कि स्थल पर नियमानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण/प्राविधान किया जायेगा।

सत्यापन - मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित पैरा 01 से 10 तक मेरी निजी जानकारी में राब सच व सही है। इसमें न तो कोई तथ्य असत्य है और न ही कोई बात छुपाई गयी है।

दिनांक-

शपथकर्ता -